हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 82/2021 अनवान अमीरा बनाम [illegible]**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.9.21	**आदेश** पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है, आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा सोढाणी मुसलमानों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 726/362 रकबा 07.10 बीघा, खसरा संख्या 727/362 रकबा 17.18 बीघा कुल रकबा 22.08 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा सोढाणी मुसलमानों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 726/362 रकबा 07.10 बीघा, खसरा संख्या 727/362 रकबा 17.18 बीघा कुल रकबा 22.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क रीडर/2021/ 4876 दिनांक –22.9.21

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 अमीरा खां पुत्र खीवरा जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी, बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।		1 अलाबक्स 2 फतेह मोहम्मद पिसरान खिवरेखां 3 दिलबर पुत्र महेन्द्र खां 4 बरकत खां 5 मारूखां 6 सिकन्दर खां पिसरान मोहम्मद खां 7 हवा पत्नी मोहम्मद खां 8 अलीशेरखां पुत्र गफुर खां 9 मीयाण पतनी गफुर खां 10 जुबेदा पत्नी मोहम्मद हरीम 11 रजिया पत्नी मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी बान्दरा तहसील बाडमेर 12 रेशमा पतनी नसारखां जाति मुसलमान निवासी बनिया धोरा सिधियों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 82/2021 दिनांक– 21.9.21

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सोढाणी मुसलमानों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 726/362 रकबा 07.10 बीघा, खसरा संख्या 727/362 रकबा 15.18 बीघा कुल रकबा 22.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2021/ 4877-4880 दिनांक– 22-9.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. अमीरा खां पुत्र खीवरा जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी, बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी अलाबक्स पुत्र खिवरे खां वगैराह जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी, बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर